PAN No. AAATB0431G

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानक पथप्रदर्शक

भोपाल शाखा कार्यालय : 'मानकालय', ई-5, अरेरा कालोनी
बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016 (म.प्र.)
BHOPAL BRANCH OFFICE : 'Manakalaya', E-5, Arera Colony,
Bittan Market, Bhopal-462016 (M.P.)

दूरभाष / Tel.: 2423449, 2423452, 2423454, 2420493, 2442550
तार : मानकसंस्था / Gram : Manaksanstha
ई-मेल / E-mail : bplbo@bis.org.in
फैक्स / Fax : (0755) 2423451, वेबसाइट/ Website : www.bis.org.in

Soft copy download of India Standards now available from BIS sales portal http:// www. standardsbis.in

BIS offers complete training solution for Standards and Management Systems. For details see http:// www.bis.org.in or contact at nits@bis.org.in

सन्दर्भ: बीपीएल/ईएनएफ/ 1

23 नवम्बर 2017

:: प्रेस विज्ञप्ति ::

<u>भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भोपाल में नकली आईएसआई मार्क लगा रहे पैकेज बंद पेयजल (PDW) पर छापा</u>

श्रीमति प्रीति भटनागर, वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख भोपाल शाखा कार्यालय के निर्देशानुसार ब्यूरो के अधिकारियों ने दिनांक 23 नवम्बर 2017 को सर्च एण्ड सीज़र कार्यवाही करते हुए एक उद्योग मेसर्स आईस राक फूड एण्ड बेवरजेस, भोपाल, मध्यप्रदेश के परिसर पर छापा मारा जहां बिना वैध लाइसेंस के पैकेज बंद पेयजल पर आईएसआई लगाया जा रहा था । छापे के दौरान संबंधित फर्म से भारी मात्रा में आईएसआई मार्क लगा पैकेज बंद पेयजल जब्त किया गया ।

उपरोक्त इकाई के पास वैध लाइसेंस नहीं होने के बावजूद भी उनके द्वारा अपने उत्पाद पर आईएसआई मार्क लगाया जा रहा था । जब कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के तहत पैकेज बंद पेयजल का उत्पाद बिना आईएसआई लाइसेंस के नहीं किया जा सकता । यह कार्यवाही भारतीय मानक ब्यूरो, भोपाल द्वारा बीआईएस अधिनियम, 1986 के तहत उलंघनकर्ताओं के खिलाफ की जा रही है । इस अधिनियक के तहत उलंघनकर्ता को एक साल की कैद अथवा रूपये 50,000/- जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है ।

यह देखा गया है कि उत्पादक आर्थिक फायदे के लिए अपने उत्पाद पर नकली आईएसआई मार्क लगाकर आम ग्राहकों को बेच रहे हैं । ग्राहकों से अनुरोध है कि वे कोई भी आईएसआई मार्क लगा उत्पाद खरीदने से पहले उसकी प्रमाणिकता बीआईएस की वेबसाइट www.bis.org.in पर जांच लें ।

आम जनमत से निवेदन है कि उनके सामने आईएसआई मार्क के दुरूपयोग का मामला सामने आने पर भोपाल शाखा प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, मानकालय, ई-5, अरेरा कालोनी, विट्टन मार्केट, भोपाल-462016 को सूचित करें या इसकी शिकायत ई-मेल bpbo@bis.org.in या hbpbo@bis.org.in या दूरभाष संख्या 0755-2423452, 2423454 पर भी की जा सकती है । शिकायतकर्ता की जानकारी गोपनीय रखी जायेगी ।

(प्रीति भटनागर)
वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख

प्रति,
वरिष्ठ मीडिया एवं संचार अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, भोपाल - कृपया उपरोक्त समाचार विज्ञप्ति को मध्यप्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित करा कर समाचार की कतरने इस कार्यालय को प्रेषित कर अनुग्रहित करें ।